न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी:– **प्रकाश चन्द्र चौधरी** आर.ए.एस.

अपील सं. 04/2018

उनवान:–

मदन कुमार पुत्र तेजभान जाति अग्रवाल सा. 39 एलएनपी तह0 पदमपुर।

अपीलांट

बनाम

तहसीलदार पीलीबंगा जरिये राजस्थान सरकार।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध इन्तकाल सं0 324 दिनांक 04.01.16 ।

उपस्थित:– 1 श्री इन्द्राज गोदारा अभिभाषक अपीलांट ।
2 श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अभिभाषक।

–:निर्णय:–

दिनांक: –30.01.2018

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि खातेदार बीकर सिंह ने अपनी खातेदारी भूमि में से चक 7 बीएलडब्ल्यु प0नं0 39/245 कि0नं0 16/2/.063,25/.253 है0 भूमि को गैर मुमकिन ओद्यौगिक में परिवर्तन करवा लिया जिसका इन्तकाल नं. 324 स्वीकृत किया गया। उक्त परिवर्तित भूमि को अपीलांट ने जरिये बैयनामा खरीद लिया । अपीलाधीन इन्तकाल के कालम नं.9 में मात्र गैर मुमकिन उद्योग कर दिया जिसमें खातेदार बिकर सिंह का नाम दर्ज ना कर अहम कानूनी भूल की है। क्योकि अपीलांट के हक अपीलाधीन इन्तकाल से प्रभावित होते हैं इसलिए अपील तृतीय पक्षकार के रूप में प्रस्तुत की जा रही है जिसके साथ प्रा0पत्र 96 सीपीसी सलंग्न है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 की तलबी जारी की गयी। रेस्पो0 की ओर से श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यही तर्क किया है कि कृषि से अकृषि (ओद्यौगिक) का संपरिर्तन होने पर अपीलाधीन इन्तकाल में गै0मु0 अद्योग के साथ खातेदार का नाम अंकित नहीं किया गया है। जो कि विधि अनुसार नहीं है। चूंकि अपीलांट द्वारा यह परिवर्तित भूमि पूर्व खातेदार बिकर सिंह से जरिये बैयनामा खरीद ली ग़यी है। इसलिए पूर्व खातेदार का नाम गै0मु0 उद्योग के साथ दर्ज नहीं होने से अपीलांट के हित प्रभावी हो रहे है। इसलिए अपील स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन इन्तकाल निरस्त कर गै0मु0 उद्योग के साथ अपीलांट का नाम दर्ज किया जावे। बहस के समर्थन में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना एफ 6(26) रेव–6/2014 /33 जयपुर दिनांक 06.10.16 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया।

राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलांट कथनों का विरोध करते हुए अपील अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया गया।

(3)

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व उसके साथ सलंग्न रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली के सलंग्न बैयनामा फोटो प्रति दिनांक 25.7.13 से सिद्ध है कि प्रश्नगत आराजी अपीलांट द्वारा खरीद की गयी है। इसलिए प्रा0पत्र 96 सीपीसी स्वीकार कर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी का कृषि से ओद्योगिक परिवर्तन हुआ है। जिसका अपीलाधीन इन्तकाल सं0 324 दर्ज हुआ जिसमें मात्र गै0मु0 उद्योग अंकित कर दिया उसके साथ खातेदार का नाम अंकित नहीं किया है। परिवर्तित भूमि के सबंध में इन्तकाल दर्ज करने बाबत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना एफ 6(26) रेव–6/2014 /33 जयपुर दिनांक 06.10.16 द्वारा व्यवस्था दी गयी है। किन्तु चुनौतीग्रस्त इन्तकाल दर्ज करते समय उक्त अधिसूचना का मण्तव्य समझने में राजस्व अधिकारियों द्वारा भूल की गयी है। रूपान्तरित भूमि में रूपान्तकार (खातेदार) के नाम का लोप करना उक्त अधिसूचना में निर्देशित नहीं किया है। जबकि चुनौतीग्रस्त इन्तकाल दर्ज करते समय खातेदार /रूपान्तरकार का नाम विलोपित कर दिया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन इन्तकाल में मात्र गै0मु0 उद्योग अंकित कर इन्तकाल स्वीकृत करना कानूनी भूल है। जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस कारण अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इन्तकाल सं. 324 चक 7 बीएलडब्ल्यु निरस्त किया जाता है। तहसीलदार पीलीबंगा को निर्देश दिये जाते हैं कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना एफ 6(26) रेव–6/2014 /33 जयपुर दिनांक 06.10.16 के अनुसरण में इन्तकाल सं0 324 में गै0मु0 उद्योग के साथ रूपान्तरकार (खातेदार) का नाम अंकित किया जावे व तत्पश्चात् क्रेता (अपीलांट) के नाम गै0मु0 उद्योग के साथ उसका नाम भी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार पीलीबंगा को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज0)

(प्रकाश चन्द्र चौधरी)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़